

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 385 सन 2021

अनवान :-

1. अब्दुल हमीद पुत्र ईसरईल खान जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फरीद खान पुत्र ईसरईल खां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. अब्दुल मजीद पुत्र ईसरईल खां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. गुलजार बेगम पुत्री ईसरईलखां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. रजबानो पुत्री इसरईलखां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. कलीमा पत्नी रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान अराई ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
6. इनायत बानो पुत्री रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर
7. अजमत बानो पुत्री रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 7/6 की कुल 3.0360हैक् में से 1301/15180 हिस्सा इस्माईलखां प्रतिवादी संख्या 5 का 211/7590 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ,7 प्रत्येक 281/10120हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 49/47 की कुल 14.6740हैक् में से ईसमाईलखा के नाम 123/146740हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 31/36685 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 प्रत्येक का 1213/14670हिस्सा व खाता संख्या 15/15 की कुल 3.2890है में ईसमाईलखां का 922/16445 हिस्सा , व खाता संख्या 16/13 की कुल 14.6740 हैक् में से ईसमाईल खा के नाम 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ईस्माईलखा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम से दर्ज है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद का देहान्त हो चुका है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने/भतीजी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ,7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ईस्माईलखा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम से दर्ज है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद का देहान्त हो चुका है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक् व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ईस्माईलखा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम से दर्ज है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद का देहान्त हो चुका है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज है इस्माईलखा पुत्र नेक महोम्मद के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 7/6 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है0 भूमि में से वादी के मृतक पिता के नाम दर्ज 1301/15180 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 के ब0 हि0 ब दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 के 211/7590 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 281/10120 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 49/47 के कुल खसरे 79 का कुल क्षेत्रफल 14.6740 है0 भूमि में से वादी के मृतक पिता के नाम दर्ज 123/146740 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 के 31/36685 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 के 123/146740 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 के दर्ज की जावे तथा 3 बीकेके के खाता संख्या 15/15 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 में से वादी के मृतक पिता के 922/16445 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 16/13 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 14.6740 है0 में से वादी के मृतक पिता का 1/5 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... भुकरका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अब्दुल हमीद पुत्र ईसरईल खान जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. फरीद खान पुत्र ईसरईल खां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर ।
2. अब्दुल मजीद पुत्र ईसरईल खां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर ।
3. गुलजार बेगम पुत्री ईसरईलखां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर ।
4. रजबानो पुत्री इसरईलखां जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर ।
5. कलीमा पत्नी रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान अराई ढाणी अराईयान तहसील नोहर ।
6. इनायत बानो पुत्री रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर ।
7. अजमत बानो पुत्री रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 385 सन 2021 निर्णय दिनांक- 11.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 के खाता संख्या 7/6 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है0 भूमि में से वादी के मृतक पिता के नाम दर्ज 1301/15180 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 के ब0 हि0 ब दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 के 211/7590 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 281/10120 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 के खाता संख्या 49/47 के कुल खसरे 79 का कुल क्षेत्रफल 14.6740 है0 भूमि में से वादी के मृतक पिता के नाम दर्ज 123/146740 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 के 31/36685 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 के 123/146740 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 के दर्ज की जावे तथा 3 बीकेके के खाता संख्या 15/15 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 में से वादी के मृतक पिता के 922/16445 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 16/13 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 14.6740 है0 में से वादी के मृतक पिता का 1/5 हिस्सा भूमि में वादी के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....भुकरका